संख्याः–1240/अड़तीस–9–13–500(17)/2012

प्रेषक,

अरुण सिंघल
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–9 लखनऊः 14 अक्टूबर, 2013

विषयः विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के प्रस्तर–2.1, 3.5 4.1, परिशिष्ट–1 के बिन्दु संख्या–20 तथा परिशिष्ट–2 के बिन्दु संख्या–8(क) को संशोधित करते हुये निम्नवत् प्रतिस्थापित किये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया हैः–

(1)– प्रस्तर–2.1 एवं 3.5 का प्रतिस्थापनः–

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के लिये शासकीय कार्यदायी विभागों के साथ ही राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कार्यदायी संस्था/राज्य सरकार के उपक्रम/निगमित निकाय, जो निर्माण कार्यों के लिये अधिकृत हैं, उन्हें इस योजना के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था के रूप में इस शर्त के साथ नामित किया जाय कि ऐसी कार्यदायी संस्थाये इस योजना के अन्तर्गत सेंटेज चार्जेज की मांग नहीं करेंगी। जनपद स्तर पर उपलब्ध ऐसी कार्यदायी संस्थाओं की सूची जिलाधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष तैयार की जायेगी परन्तु इस सूची में ऐसी कार्यदायी संस्थाओं को जिन्होंने पिछले वर्ष के कार्यों को गुणवत्ता के साथ समयबद्ध रूप से पूर्ण नहीं किया है, पुनः सम्मिलित नहीं किया जायेगा। विधायक निधि की धनराशि से कोई भी कार्य स्वयं सेवी संगठनों (N.G.O.'s)/निजी ठेकेदारों के माध्यम से नहीं कराया जायेगा।

(2)– प्रस्तर–4.1 का प्रतिस्थापनः–

विधान मण्डल के मा0 सदस्य द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अलग–अलग चिन्हित किए जाने योग्य कार्यों के प्रस्ताव दिये जा सकते हैं, बशर्ते कि किसी एक कार्य की अनुमानित लागत रू0 25.00 लाख से अधिक न हो।

विधान मण्डल के मा0 सदस्य द्वारा कार्यों के प्रस्ताव की सम्पूर्ण लागत की संस्तुति की जायेगी। किसी कार्य के सापेक्ष धनराशि इंगित करते हुये उक्त धनराशि को अवमुक्त करने की संस्तुति नहीं की जायेगी।

(3)– परिशिष्ट–1 के बिन्दु संख्या–20 का प्रतिस्थापनः–

इलेक्ट्रॉनिकी परियोजनायें {कृपया पैरा 2.2 का भी संदर्भ लिया जाये}।

- सूचना फुटपाथ।
- उच्च विद्यालयों में हैम क्लब
- सिटीजन बैण्ड रेडियो
- ग्राम सूची डाटा बेस परियोजना
- सी0सी0टी0वी0 वीडियो कैमरा सिस्टम

(सी0सी0टी0वी0 वीडियो कैमरा का क्रय उन्हीं फर्मों से किया जाय, जिन फर्मों से गृह विभाग द्वारा ऐसे उपकरणों का क्रय किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी, सम्बन्धित जनपद के पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की संस्तुति प्राप्त कर उक्त उपकरणों के क्रय की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। उक्त उपकरणों के अनुरक्षण का कार्य सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा गृह विभाग की निधि से कराया जायेगा।)

(4)— परिशिष्ट—2 के बिन्दु संख्या—8(क) का प्रतिस्थापनः—

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत ऐसी संस्था के कार्यों की अनुशंसा नहीं की जायेगी, जहॉ अनुशंसा करने वाले मा0 सदस्य एवं उनके परिवार का कोई भी सदस्य उक्त संस्था/ट्रस्ट के पदाधिकारी है और उक्त संस्था निजी लाभ के लिये चलायी जा रही है, परन्तु जहॉ ऐसी संस्था सार्वजनिक हित में कार्य कर रही हो, वहॉ विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के प्रस्तर—4.1 की सीमा के अधीन कार्य प्रस्तावित किये जा सकते है।

2— उपरोक्तानुसार विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्त तथा समय—समय पर जारी किये गये संगत शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,

/

(अरुण सिंघल)
प्रमुख सचिव।

संख्या— 1240 (1)/अड़तीस—9—2013, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा एवं परीक्षा), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2— प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन।
3— प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग उ0प्र0 शासन।
4— प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद उत्तर प्रदेश।
5— प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/नियोजन विभाग/गृह विभाग उ0प्र0 शासन।
6— निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, विधान सभा,/मा0 सभापति, विधान परिषद, उ0प्र0।
7— निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
8— निजी सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
9— आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
10— समस्त मण्डलायुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक उ0प्र0।
11— समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने जनपद से सम्बन्धित समस्त मा0 विधान सभा/विधान परिषद सदस्यों को उक्त शासनादेश की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12— समस्त कोषाधिकारी उ0प्र0।
13— वित्त (व्यय—नियंत्रण) अनु0—2/वित्त (आय—व्ययक) अनु0—1/नियोजन अनु0—3।
14— ग्राम्य विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
15— गार्डबुक।

आज्ञा से,

(बी0पी0 सिंह)
अनु सचिव।